



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11/20/20	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक 1. तुलाराम निषाद पिता- स्व० लछुमन मल्लाह 2. सोनु निषाद पिता - स्व० पुरन निषाद ग्राम- कोकचो, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- कोकचो, थाना नं०- 142, खाता नं०- 523, प्लॉट नं०- 4902, रकबा- 0.12 एकड़ भूमि क्रेता श्री मितन राम निषाद, पिता/पति-स्व० चन्द्रमोहन निषाद, ग्राम-कोकचो, थाना-मंझारी, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक(बी) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, तांतनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के नाम पर हालसर्वे खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, तांतनगर का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 305 दिनांक 04.11.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री मितन राम निषाद, पिता/पति-स्व० चन्द्रमोहन निषाद ग्राम- कोकचो, थाना-मंझारी, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मंझारी थाना के निवासी है। उक्त दोनों पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 0.28 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, तांतनगर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक 1. तुलाराम निषाद पिता- स्व० लछुमन मल्लाह 2.सोनु निषाद पिता -स्व० पुरन निषाद ग्राम- कोकचो, थाना- मंझारी, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता श्री मितन राम निषाद, पिता/पति-स्व० चन्द्रमोहन निषाद, ग्राम- कोकचो, थाना-मंझारी, जिला पं० सिंहभूम के पास 2,00,000.00 (दो लाख) रूपया में मौजा- कोकचो, थाना नं०- 142, खाता नं०- 523, प्लॉट नं०- 4902, रकबा- 0.12 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक(बी) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा</p>	